

FROM No.III

फर्द ब्रहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... SDO मुकाम.....
सहायक कमिश्नर (न) बापट

बनाम.....
गुनगुन राय वगैर

किस्म मुकदमा..... नं. 70/21 सन् 2021
राजस्थान अधिनियम 111/128 के अन्तर्गत

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/03/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... को पेश हो।</p>	
30/04/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राथीगणों डे नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाये गये जिनकी डिलेवर्ड रसिदें उन: प्राप्त नहीं हुई हैं सीमान पीठामिन अधिकांश 30/45 रिक्त होने से मिथाल इलाना दोहरा प्रार्थी दिनांक 04/08/2021 को पेश हो।</p>	<p>(SDO) बापट</p>
04/08/2021	<p>पत्रावली पेश हुई अकुलाय बकिंन उपस्थित पीठामिन अधिकांश का पद रिक्त है अतः पत्रावली इस्तवा हाका दिनांक 19/11/2021 को पेश हो।</p>	



19/11/2021

प्राची वहाल उपस्थित। विप्राचीगणों के
 पुनः प्राप्त नहीं हुई हैं। सीमांत पौखराज अधिवक्ता
 उपासन जाँची के संग अधिवक्ता-2021 के-पों के
 पत्र-पत्र होने के मिश्रण इत्यादि डेटा के आधार पर
 18/02/2022 को फेरा ही है

न्या
 1. अनुसारम प
 जाति प
 पत्र

10/02/2022

प्राची वहाल उपस्थित। विप्राचीगणों बावजूद
 सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज
 लगाई गई। अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई
 विप्राचीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता
 उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्राचीगणों के विरुद्ध मक-
 तरफा कार्यवाही अदालत में लार्स जाती है। प्राची के अधिव-
 वक्ता की मकसदिय बहस सुनी गई प्राची के अधिवक्ता
 द्वारा बताया कि प्राची व विप्राचीगणों के खेत सेठ-सेठ
 आये हुए हैं। खेतों के मध्य जो पुरानी माटे व कण आये
 हुए थे जो बतमान में आधियों को बजह ले बिखर गये हैं।
 जिससे प्राची को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान नहीं है
 हो पा रहा है। जिससे खेत के सेठों को लेकर प्राची व विप्राची
 गणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्राची को अपने
 खेत के सेठों का सही ज्ञान करने हेतु नेखमबन्दी करवानी
 आवश्यक है। इसलिये प्राची का नेखमबन्दी आवेदन
 स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्राची अधिवक्ता के निवेदन पर
 प्राची का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलधार
 गिऊ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता
 है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्त किसी भी भू-समिलेख
 निरीक्षक से प्राची के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी
 मोके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट
 प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली केसल शुमार
 होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दायित्व दफतर हो।

सहायक पत्रावली
 (SDO) बयलु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2022/13

दिनांक:- 16/02/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लुम्भाराम पुत्र तेजाराम
जाति जाट, निवासी कसुम्बला हरचन्द
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर


1. पन्नाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 41
जाति जाट, निवासी कसुम्बला हरचन्द
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 70/2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कसुम्बला हरचन्द, पटवार मण्डल - कसुम्बला भाटियान, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 172/31 रकबा 7.5352 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2022/14-18

प्रतिलिपि:-निम्न कौ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लुम्भाराम पुत्र तेजाराम
4. विप्रार्थी श्री पन्नाराम पुत्र तेजाराम वगैरा 41
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु

दिनांक:- 16/02/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलेक्टर

(SDO) बायतु